

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 40/2022

श्याम सुन्दर, प्लाट ए-58, विक्की हाउस, राजगढ रोड, नियर बस स्टेण्ड, पिलानी, जिला झुंझुनू, पिन कोड
333031, मो0न0 9468827200

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 28.02.2022


1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 40/2022 पर दिनांक 31.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी), झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/267-68 दिनांक 31.01.2022 एवं पत्रांक 561 दिनांक 21.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनू ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/95 दिनांक 28.02.2022 द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर का प्रार्थना पत्र श्रीमान् अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू से स्थानान्तरित होकर कार्यालय में दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र द्वारा पिलानी गैस सर्विस की जांच संबंधी रिपोर्ट चाही गई थी। इस क्रम में श्री श्याम सुन्दर द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत 0416284738109 दिनांक 22.04.2016 पर दर्ज शिकायत के संबंध में संबंधित गैस एजेन्सी के विभिन्न अधिकारियों व जिला रसद कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध भारत सरकार व राजस्थान सरकार के उच्च स्तर कपर शिकायत की गई है। जिसमें तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को श्री श्याम सुन्दर को व्यक्तिगत रूप से सुना जाकर निर्णय दिया जा चुका है। श्री श्याम सुन्दर द्वारा चाही गई सूचना पिलानी गैस सर्विस की इसी प्रकरण से संबंधित जांच के संबंध में है जिसमें तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को श्री श्याम सुन्दर को व्यक्तिगत रूप से सुना जाकर निर्णय दिया जा चुका है। अतः इस प्रकरण में जिला रसद अधिकारी की जांच संबंधित सूचना इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पत्रांक आर0टी0आई0/2022/95 दिनांक 28.02.2022 द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर का प्रार्थना पत्र श्रीमान् अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू से स्थानान्तरित होकर कार्यालय में दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र द्वारा पिलानी गैस सर्विस की जांच संबंधी रिपोर्ट चाही गई। इस क्रम में श्री श्याम सुन्दर द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत 0416284738109 दिनांक 22.04.2016 पर दर्ज शिकायत के संबंध में संबंधित गैस एजेन्सी के विभिन्न अधिकारियों व जिला रसद कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध भारत सरकार व राजस्थान सरकार के उच्च स्तर कपर शिकायत की गई है। जिसमें तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को श्री श्याम सुन्दर को व्यक्तिगत रूप से सुना जाकर निर्णय दिया जा चुका है। श्री श्याम सुन्दर द्वारा चाही गई सूचना पिलानी गैस



सर्विस की इसी प्रकरण से संबंधित जांच के संबंध में है जिसमें तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को श्री श्याम सुन्दर को व्यक्तिगत रूप से सुना जाकर निर्णय दिया जा चुका है। अतः इस प्रकरण में जिला रसद अधिकारी की जांच संबंधित सूचना इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। चूंकि प्रार्थी की जांच पूर्व में निस्तारित हो चुकी है। उसके आवेदन पर अब कोई जांच की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम में जांच का प्रावधान भी नहीं है। उक्त अधिनियम में मात्र सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं